

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1 में हिंदी और अंग्रेजी में साथ-साथ प्रकाशन के लिए)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एन.डी.सी.सी.-II बिल्डिंग, 'बी' विंग, चौथा तल,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली,
दिनांक: 31 मार्च, 2017

संकल्प

20012/01/2017-रा.भा.(नीति) - राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(1) के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1976 में किया गया था। समिति द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3), राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5, हिंदी में पत्राचार, प्रकाशन, कोड-मैनुअल एवं प्रशिक्षण इत्यादि से संबंधित राष्ट्रपति के आदेशों के अनुपालन की स्थिति का मंत्रालयवार/क्षेत्रवार मूल्यांकन, केंद्र सरकार के कार्यालयों में पुस्तकों की खरीद, कम्प्यूटरीकरण और हिंदी, भर्ती नियमों में हिंदी ज्ञान की अनिवार्यता, शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी माध्यम की उपलब्धता, हिंदी विज्ञापनों पर व्यय तथा सार्वजनिक उपक्रमों के व्यावसायिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग आदि से संबंधित प्रतिवेदन का नौवा खण्ड राष्ट्रपति जी को 02.06.2011 को प्रस्तुत किया गया। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(3) के अंतर्गत इसकी प्रतियां लोकसभा/राज्यसभा के पटल पर क्रमशः दिनांक 30.08.2011 और दिनांक 07.09.2011 को रखी गईं। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों एवं विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को इसकी प्रतियाँ भेजी गईं। उनसे प्राप्त मतों पर विचार करने के बाद समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप से या कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(4) के अंतर्गत समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के निम्नलिखित आदेश सूचित करने का निदेश हुआ है:

संस्तुति संख्या	संस्तुति	राष्ट्रपति जी के आदेश
1	समिति का यह अनुभव है कि सामूहिक विवेक से तैयार की गई संस्तुतियों पर राजभाषा विभाग में गहराई से विचार-विमर्श नहीं किया जाता है। इसलिए समिति की सिफारिशों पर कारगर आदेश जारी नहीं हो पाते, जिससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। अतः समिति का यह सुझाव है कि समिति द्वारा की गई संस्तुतियों पर आदेश जारी करने से पहले राजभाषा विभाग समिति के साथ विचार विमर्श कर ले। तत्पश्चात्, राजभाषा विभाग द्वारा आदेश जारी	यह संस्तुति सिद्धांततः स्वीकार की जाती है। यथावश्यक राजभाषा विभाग द्वारा समिति के साथ परामर्श भी किया जाएगा। राष्ट्रपति जी के आदेशों का समयबद्ध रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा विभाग प्रतिबद्ध है।

	किए जाने के बाद राजभाषा विभाग केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में उन आदेशों का समयबद्ध रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करे।	
2	समिति के प्रतिवेदन के पिछले आठ खंडों में अस्वीकृत संस्तुतियों अथवा संशोधन के साथ स्वीकृत संस्तुतियों की समीक्षा की जाए तथा समिति की संस्तुतियों के अनुरूप उपयुक्त आदेश जारी किए जाएं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
3	समिति के प्रतिवेदन के आठवें खंड में जिन मंत्रालयों/विभागों में 25% से अधिक अधिकारी/कर्मचारी हिंदी में अप्रशिक्षित पाए गए थे उनकी स्थिति में अब निश्चित रूप से सुधार हुआ है परन्तु जिन मंत्रालयों/विभागों में जहां उस समय प्रशिक्षण कार्य पूरा हो चुका था अब हिंदी में अप्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो गई है। इसे समिति ने गंभीरता से लेते हुए सिफारिश की है कि ये मंत्रालय/विभाग प्रशिक्षण कार्य की ओर विशेष ध्यान दें और प्रशिक्षण कार्य को शीघ्रताशीघ्र पूरा करवाएं, ताकि प्रशिक्षण कार्य एक वर्ष में पूरा हो सके। समिति यह सिफारिश करती है कि यदि नए भर्ती होने वाले कर्मिकों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है, तो भर्ती के तुरंत बाद ही सरकार को उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
4	समिति यह सिफारिश करती है कि राजभाषा विभाग अपने निरीक्षण तंत्र को और मजबूत करे तथा इस ओर विशेष ध्यान दे कि हिंदी में मूल पत्राचार का प्रतिशत किसी भी मंत्रालय/विभाग में घटने न पाए बल्कि इसमें वृद्धि ही हो।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
5	समिति ने पाया कि 11 मंत्रालयों/विभागों में कम्प्यूटरों पर 50 प्रतिशत से अधिक काम हिंदी में हो रहा है। विदेश मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में तो कार्य 20 प्रतिशत से भी कम है। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि सभी मंत्रालयों/विभागों में कंप्यूटरों पर अविलम्ब द्विभाषी सुविधा उपलब्ध कराई जाए और कंप्यूटरों	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

	पर काम करने वालों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि वे हिंदी में भी कार्य कर सकें।	
6	समिति के देखने में यह भी आया है कि कतिपय विभाग/मंत्रालय आदि हिंदी प्रशिक्षण कार्यशालाओं के लिए बुलाए जाने वाले अतिथि वक्ताओं को अन्य विषयों के वक्ताओं की तुलना में कम मानदेय देते हैं। हिंदी अतिथि वक्ताओं को भी अन्य विषयों के वक्ताओं के समान ही मानदेय दिया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
7	सचिव (राजभाषा विभाग) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के उल्लंघन की स्थिति को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के साथ उठाएं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
8	सचिव (राजभाषा विभाग) धारा 3(3) के उल्लंघन की स्थिति को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के साथ उठाएं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
9	हिंदी जानने वाले कार्मिकों को सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण देने पर बल दिया जाए। इसके लिए डेस्क प्रशिक्षण भी कारगर साबित हो सकता है। “क” एवं “ख” क्षेत्रों में विशेष रूप से इस प्रयास को तेज किया जाए। “ग” क्षेत्र में समयबद्ध कार्यक्रम बना कर सर्वप्रथम कार्मिकों को हिंदी शिक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
10	कम्प्यूटर पर हिंदी में काम करने के संबंध में राजभाषा विभाग एक कार्यक्रम तैयार कर हिंदी शिक्षण योजना के सहयोग से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करे।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
11	प्रत्येक कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए कि कार्यालय द्वारा पत्राचार के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करने के लिए वे प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में किसी एक दिन सभी अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा हिंदी में किए गए कार्य की समीक्षा करें और आगामी माह के लिए हिंदी में कार्य करने हेतु लक्ष्य निर्धारित करें अर्थात् उन्हें क्या-क्या काम हिंदी में करने हैं इस संबंध में निर्देश दें।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
12	विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा संबंधी रिक्त पड़े हुए पदों को अविलम्ब भरा जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
13	प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सामग्री को द्विभाषी	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

	रूप में उपलब्ध करवाने के संबंध में व्यापक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।	
14	प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ अपने कार्यान्वयन में सुधार लाएँ और सभी बैठकों में उपर्युक्त सभी मदों की समीक्षा करते हुए कमियों को दूर किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
15	सभी संवर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट में दो कॉलम जोड़े जाएं:- (क)अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हिंदी में कार्य करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। (ख)अधिकारी/कर्मचारी उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल हुआ, इस बारे में उच्चाधिकारी अपनी टिप्पणी दें।	यह संस्तुति स्वीकार नहीं की जाती है।
16	समिति यह संस्तुति करती है कि निरीक्षण कार्य के लिए एक प्रोफार्मा तैयार किया जाए और जब भी कोई अधिकारी (वरिष्ठतम अधिकारी सहित) अपने किसी अधीनस्थ कार्यालय में निरीक्षण या दौरे पर जाए तो उससे उक्त प्रोफार्मा को अनिवार्य रूप से भरवाया जाए और राजभाषा का निरीक्षण अवश्य करवाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक कार्यालय का वर्ष में कम से कम एक राजभाषा संबंधी निरीक्षण अवश्य हो चाहे किसी भी स्तर पर हो। यह निरीक्षण मंत्रालय, मुख्यालय या राजभाषा विभाग द्वारा किया जा सकता है।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
17	मॉनिटरिंग के इसी क्रम में प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक अवश्य सुनिश्चित की जाए और बैठक के दौरान कार्यालय के विभिन्न अनुभागों में हो रही राजभाषा संबंधी प्रगति पर नजर रखी जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
18	सभी मंत्रालय/मुख्यालय यह सुनिश्चित करें कि उनके नियंत्रणाधीन सभी छोटे बड़े कार्यालय, बैंक, उपक्रम, संस्थान, अधिकरण आदि अपने अपने नगरों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य बन गए हैं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
19	राजभाषा विभाग केन्द्रीय कार्यालयों में हिंदी की प्रगामी प्रगति के लिए बनाए गए निरीक्षण प्रोफार्मा तथा तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रोफार्मा में निम्नलिखित	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

	मुद्दे भी समाहित करें:- क.क्या आपके नगर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है ? ख.क्या आपका कार्यालय इसका सदस्य है ? ग. यदि हां, तो पिछली बैठक (तारीख) में भाग लेने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम घ.यदि सदस्य नहीं है तो अब तक सदस्यता क्यों नहीं ग्रहण की गई ?	
20	परस्पर समन्वय की भावना होनी चाहिए और इसके लिए यदि अध्यक्ष कार्यालय में हिंदी अधिकारी का पद नहीं है तो ऐसी स्थिति में नगर के किसी दूसरे कार्यालय से किसी सक्षम, अनुभवी हिंदी अधिकारी को समिति का सदस्य सचिव बनाया जा सकता है। किसी अन्य अधिकारी जो हिंदी अधिकारी नहीं है उसे यह दायित्व नहीं सौंपा जाना चाहिए। नराकास की गतिविधियों को अनवरत रखने के लिए राजभाषा अधिकारी को ही नराकास के सदस्य सचिव का दायित्व सौंपा जाना चाहिए।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि नराकास अध्यक्ष के कार्यालय में हिंदी अधिकारी का पद न होने की स्थिति में अध्यक्ष अपने कार्यालय या किसी अन्य सदस्य कार्यालय से किसी ऐसे अधिकारी को सदस्य सचिव मनोनीत करे जो राजभाषा नीति व कार्यान्वयन के बारे में जानकारी रखता हो।
21	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के आयोजन में व्यय होने वाली राशि के संबंध में समिति द्वारा आठवें खंड में की गई सिफारिश को अविलंब लागू किया जाए। साथ ही, आयोजन हेतु प्रदान की जाने वाली इस राशि में प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि की जाए।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में होने वाले व्यय की सीमा समय-समय पर समीक्षा करके आवश्यकतानुसार संशोधित की जाए।
22	सभी केन्द्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु कम से कम एक हिंदी पद अवश्य सृजित किया जाए। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु न्यूनतम हिंदी पद सृजन की इस अवधारणा को तत्काल लागू किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
23	एक वर्ष से अधिक समय तक रिक्त पड़े हुए हिंदी के पदों को समाप्त नहीं किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
24	परस्पर विचारों के आदान-प्रदान हेतु राजभाषा विभाग द्वारा क्षेत्र क, ख तथा ग में प्रतिवर्ष सचिव, राजभाषा विभाग के साथ नराकास अध्यक्षों एवं सदस्य सचिवों की एक समागम बैठक आयोजित की जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
25	राजभाषा विभाग को नराकास की बैठकों के आयोजन,	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

	उनमें कार्यालयाध्यक्षों की सहभागिता, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से अधिकारियों की इन बैठकों में उपस्थिति आदि की सूचना क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से उपलब्ध कराकर नराकासों की मॉनीटरिंग व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए ताकि इन समितियों के गठन का उद्देश्य पूरा हो सके।	
26	जैसे-जैसे पूरे देश में इन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या बढ़ रही है उसी अनुपात में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों की संख्या व उनके पदों की संख्या बढ़ाई जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
27	समिति का मानना है कि एक ऐसा मानक फोन्ट विकसित किया जाए, जिसका प्रयोग देश-विदेश में आसानी से किया जा सके तथा इसे अनिवार्य रूप में सभी उपलब्ध साफ्टवेयरों में लोड किया जाए। इसके साथ ही हिंदी के मानक की-बोर्ड का चयन कर इसे अनिवार्य रूप से सभी साफ्टवेयरों में लोड किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
28	समिति का मत है कि एन.आई.सी. द्वारा वेबसाइट से संबंधित उसी सामग्री/आंकड़ों को ही वेबसाइट पर डालने के लिए स्वीकृत किया जाए, जिसे द्विभाषी रूप में उन्हें उपलब्ध कराया जाए।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि वेबसाइट की सामग्री को द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराने और उसे अपलोड कराने का कार्य विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों/कार्यालयों आदि के विभागाध्यक्षों/ कार्यालयाध्यक्षों के निर्देशन में वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजरों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए।
29	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में सी-डैक द्वारा विकसित सॉफ्टवेयरों की उपलब्धता के संबंध में एक जागरूकता अभियान चलाया जाए, जो इनकी जानकारी आगे अपने अधीनस्थ और सम्बद्ध कार्यालयों को दें। इसमें सॉफ्टवेयर पैकेजों की मुख्य विशेषताओं, उसकी उपयुक्तता और उनके मूल्यों की पूरी जानकारी होनी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
30	सॉफ्टवेयर पैकेज की विभिन्न विशेषताओं और उसकी उपयोगिता के संबंध में उपभोक्ताओं को अच्छा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रत्येक उपभोक्ता को	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

	इस प्रकार प्रशिक्षण देना सम्भव नहीं है। अतः सॉफ्टवेयर विकास करने वाले अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या सी-डैक सभी मंत्रालयों/विभागों के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने पर विचार कर सकता है, ताकि ये प्रशिक्षक अपने अधीनस्थ कार्यालयों/विभागों के उपभोक्ताओं तक यह कौशल पहुंचा सकें।	
31	सभी सॉफ्टवेयर विकासकों (सी-डैक और अन्य) के लिए सुझाव है कि उपभोक्ताओं से पुनर्निवेशन प्रतिपुष्टि की एक प्रक्रिया शुरू करें और इसके आधार पर इनकी आवश्यकतानुसार अपने उत्पाद में बदलाव लाए तथा अभावों को यदि कोई हो दूर कर सकें।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
32	सभी हिंदी अधिकारियों के लिए एक वर्ष के अन्दर विशेष कार्यशालाएं लगाई जाएं। उन्हें हिंदी संबंधित कार्य और यूनिकोड का अभ्यास करवाया जाए। उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाए तथा प्रशिक्षण के बाद उनकी गोपनीय रिपोर्ट में प्रविष्टि की जाए। उपरोक्त विषयों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा राजभाषा विभाग द्वारा केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के अधिकारियों के लिए प्रयोगात्मक कक्षाएं ली जाएं, तत्पश्चात् अन्य हिंदी अधिकारियों को भी यही प्रशिक्षण दिया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
33	मानव संसाधन विकास मंत्रालय को हिंदी भाषा का पठन अनिवार्य बनाए जाने के लिए सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रथम प्रयास के रूप में देश में केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों तथा केन्द्रीय विद्यालयों में दसवीं कक्षा तक हिंदी को अनिवार्य विषय के रूप में पढाया जाए।	यह संस्तुति सैद्धांतिक रूप से स्वीकार की जाती है। केंद्र सरकार इस विषय पर राज्य सरकारों के विचार लेकर नीति बनाए।
34	उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षण संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने संसद तथा विधान सभाओं में कुछ कानून बनाए हैं, जिसके अंतर्गत कुछ विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में केवल अंग्रेजी में ही शिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर एक समान सिद्धांत होने	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

	चाहिए। सभी विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों में हिंदी शिक्षण लागू करने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय कार्ययोजना बनाए और एक समान कानून लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू करे तथा कानून बनाकर संसद के पटल पर रखे।	
35	जिन विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में हिंदी विभाग नहीं है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को उनका पता लगाकर वहाँ हिंदी विभाग खोलने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि यह विभाग हिंदी माध्यम से शिक्षा देने के लिए सहायता दे सके।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
36	जिन हिंदीतर राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों की परीक्षाओं/साक्षात्कारों में परीक्षार्थियों को हिंदी में उत्तर देने का विकल्प नहीं है उनमें परीक्षार्थियों को हिंदी में उत्तर देने का विकल्प प्रदान किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
37	हिंदीतर राज्यों में स्थित स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं को दिया जाने वाला अनुदान नाम मात्र का है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसे बढ़ाने के लिए ठोस कार्रवाई करे।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
38	हिंदी में पाठ्य सामग्री तथा पाठ्य पुस्तकों को संबंधित विषयों के ऐसे विशेषज्ञ प्रोफेसरों, जिन्हें हिंदी का भी ज्ञान हो, से ही तैयार करवाया जाए तथा उन्हें ही हिंदी पाठ्य सामग्री तथा पाठ्य पुस्तकों को सही रूप में उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी बनाया जाए, जिससे किसी प्रकार की त्रुटि रहने की संभावना न हो।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
39	स्कूली स्तर, स्नातक स्तर तथा विशेषकर स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थियों के लिए हिंदी की पाठ्य सामग्री अंग्रेजी के मुकाबले काफी कम मात्रा में उपलब्ध है। यदि शिक्षण-प्रशिक्षण सामग्री सरल हिंदी में भी उपलब्ध करा दी जाए, तो हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त छात्रों को निश्चय ही लाभ मिलेगा तथा वे अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा पाने वाले छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
40	ज्ञान-विज्ञान के मौलिक ग्रंथों को सरल हिंदी में लिखा जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

41	तकनीकी विषयों में लेखन के लिए हिंदी लेखकों तथा अनुवादकों का चयन किया जाए तथा विदेशी छात्रों को हिंदी पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों का चयन किया जाए।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि केंद्र सरकार तकनीकी विषयों पर हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करे।
42	विभिन्न निरीक्षणों मौखिक साक्ष्यों तथा विचार-विमर्श कार्यक्रमों के दौरान समिति ने महसूस किया है कि हिंदी के कठिन शब्दों के व्यावहारिक प्रयोग में कठिनाई आ रही है। अतः हिंदी की पाठ्यसामग्रियों, शब्दावलियों आदि की भाषा को आसानी से समझने एवं व्यावहारिक प्रयोग के लिए हिंदी के कठिन शब्दों के स्थान पर अंग्रेजी शब्दों का यथावत हिंदी में प्रयोग किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
43	विभिन्न वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दों के भिन्न-भिन्न हिंदी पर्याय प्रयोग में लाए जा रहे हैं जिससे राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। अतः इसके लिए शीघ्र मानक शब्दावलियों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे अंग्रेजी के विभिन्न वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दों के हिंदी पर्यायों में एकरूपता आ सके तथा जटिल वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों को भी सरलता से हिंदी में प्रस्तुत किया जा सके।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
44	शिक्षण संस्थाओं में हिंदी शिक्षण का न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
45	केन्द्र सरकार में नौकरियों की भर्ती के लिए प्रश्न पत्रों में हिंदी का विकल्प सुनिश्चित किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
46	सरकारी नौकरियों के लिए हिंदी ज्ञान का न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार नहीं की जाती है।
47	स्कूलों में दसवीं कक्षा तक हिंदी शिक्षण को अनिवार्य बनाने के लिए एक प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किया जाए।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि हाई स्कूल में हिंदी विषय को 'क' क्षेत्रों में अनिवार्य किया जाए। इस संदर्भ में केंद्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारों से विचार करने के पश्चात नीति निर्धारित करें।
48	समिति पुनः संस्तुति करती है कि किसी भी स्थिति	संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन

	में कम से कम 50% धन हिंदी विज्ञापनों पर तथा शेष 50% क्षेत्रीय भाषाओं तथा अंग्रेजी पर किया जाए।	खंड - 8 की सिफारिश सं० 70 पर लिए गए आदेश को अधिक्रमित करते हुए खंड - 9 की सिफारिश सं० 48 एवं 88 पर की गई संस्तुतियां इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है की मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / उपक्रमों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी / क्षेत्रीय भाषाओं में दिये जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
49	जहाँ तक संभव हो हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में ही विज्ञापन जारी किए जाएं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
50	जहाँ विज्ञापन द्विभाषी रूप में जारी करने आवश्यक हों वहाँ उन्हें डिग्लॉट रूप में दिया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
51	लागत को समान रखने के लिए हिंदी के विज्ञापन बड़े आकार में तथा मुख पृष्ठ पर दिए जाएं, जबकि अंग्रेजी के विज्ञापन छोटे आकार में अंतिम पृष्ठ या बीच के पृष्ठ पर दिए जा सकते हैं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
52	समिति का मत है कि वैज्ञानिक/अनुसंधान एवं शोध संस्थानों द्वारा एक बड़ी राशि पुस्तकों की खरीद पर खर्च की जाती है। यदि यह छूट जारी रही तो पुस्तकालय की बजट के अधिकांश राशि जर्नल और संदर्भ साहित्य की खरीद पर ही व्यय होती रहेगी और हिंदी की पुस्तकों की खरीद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उनके लिये लक्ष्य प्राप्ति करना मुश्किल होगा। अतः इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किए जाए कि किसी भी स्थिति में पुस्तकों पर होने वाली कुल राशि का 50% हिंदी की पुस्तकों पर खर्च किया जाए। समिति का सुझाव है कि जिन कार्यालयों में पुस्तकालय अनुदान का कोई बजट आबंटन न हो तो वहां कुल कार्यालयीन व्यय का न्यूनतम एक प्रतिशत हिंदी पुस्तकों पर खर्च किया जाए। यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि पचास प्रतिशत या एक प्रतिशत के संदर्भ में जो भी राशि अधिक हो वह हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च की जाएगी।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि कार्यालयों/पुस्तकालयों के लिए धनराशि में से जर्नल व संदर्भ साहित्य की खरीद किए जाने के बाद बची राशि का 50 प्रतिशत या कार्यालय का न्यूनतम एक प्रतिशत, जो भी राशि अधिक हो, वह हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च की जाए।

53	मौलिक पुस्तक लेखन योजना को और अधिक आकर्षक बनाया जाए और पुरस्कार राशि में वृद्धि की जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
54	सरकारी सेवा में ऐसे कई अधिकारी एवं कर्मचारी हैं जो अपनी नौकरी के साथ-साथ रचनात्मक कार्य से भी जुड़े हैं और हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। समिति का सुझाव है कि ऐसे प्रतिभाशाली कर्मिकों को विशेष प्रोत्साहन या पदोन्नति दी जाए।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य से जुड़े कर्मिकों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए।
55	अंग्रेजी की अच्छी और उपयोगी पुस्तकों के उत्तम अनुवाद को भी प्रोत्साहित किया जाए और इस संबंध में भी योजना तैयार की जाए। इसे "उत्कृष्ट अनुवाद योजना" का नाम दिया जा सकता है।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
56	समिति यह संस्तुति करती है कि सभी मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों आदि में वेलफेयर क्लब्स के माध्यम से पुस्तक क्लब गठित किए जाएं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
57	समिति का मत है कि एयर इंडिया अपनी समय सारणी द्विभाषी रूप में छपवाएं ताकि नियमों की अवहेलना न हो।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
58	समिति यह संस्तुति करती है कि स्वागत पत्रिका को पुनः एक ही जिल्द में द्विभाषी छपवाया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। एयर इंडिया द्वारा प्रकाशित 'शुभयात्रा' पत्रिका एक ही जिल्द में द्विभाषी छपवाया जाए।
59	समिति यह सिफारिश करती है कि राजभाषा विभाग संबंधित मंत्रालय/विभाग के परामर्श से गोपनीय रिपोर्ट के फार्म में एक अलग कॉलम "हिंदी में लेख आदि लिखने की क्षमता" पर विचार करें।	यह संस्तुति स्वीकार नहीं की जाती है।
60	समिति का मत है कि क्षेत्र के आधार पर गृह पत्रिकाओं को हिंदी और संबंधित क्षेत्र विशेष की भाषा में छापा जाए ताकि क्षेत्रीय भाषा में लेखन क्षमता रखने वाले कर्मचारियों को भी अवसर और प्रोत्साहन मिले।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
61	रेल मंत्रालय द्वारा भविष्य में केवल ऐसे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र/ उपकरण ही खरीदे जाएं और प्रयोग में लाए जाएं	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

	जिन पर देवनागरी में भी कार्य करने की सुविधा हो। जो टेलिप्रिंटर / टेलेक्स, कंप्यूटर, शब्द संसाधक आदि केवल रोमन के हैं, उन पर अविलम्ब देवनागरी में कार्य करने की सुविधा सुलभ कराई जानी चाहिए।	
62	नए सृजित हिंदी पदों तथा खाली पड़े हिंदी पदों को तत्काल भरा जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
63	हिंदी कंप्यूटिंग फाउंडेशन नामक संस्थान केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों विशेषकर रेलवे विभाग में हिंदी को अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी भाषा का ज्ञान देने, कंप्यूटर पर हिंदी सिखाने तथा हिंदी सॉफ्टवेयर विकसित करने के संबंध में प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। इस संस्थान को रेल मंत्रालय की ओर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर सशक्त बनाया जाना चाहिए ताकि स्व विकसित प्रौद्योगिकी के सदुपयोग से रेल मंत्रालय की बाहरी संसाधनों (Out Sourcing) पर निर्भरता समाप्त की जा सके।	हिंदी कंप्यूटिंग फाउंडेशन के वर्ष 2006 में विघटित हो जाने के कारण यह संस्तुति स्वीकार नहीं की जाती है।
64	रेलवे बोर्ड तथा देश भर में स्थित उसके अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों में कंप्यूटरों में उपयोग में लाए जा रहे हिंदी सॉफ्टवेयरों का मानकीकरण किया जाना चाहिए।	सभी मंत्रालय/विभाग यूनिकोड और यूनिकोड समर्थित फॉन्ट्स इस्तेमाल करें।
65	पूरे देश में विशेषकर “ग” क्षेत्र में स्थित रेलवे स्टेशनों पर अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाओं सहित हिंदी में भी अनिवार्य रूप से उद्घोषणाएं की जानी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
66	रेल मंत्रालयों के उपक्रमों/कारखानों द्वारा निर्मित उत्पाद का नाम तथा अन्य विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखे जाने चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
67	रेल मंत्रालय और इसके सभी अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिंदी से संबंधित पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों में इन पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के समान वेतनमान दिए जाने चाहिए और इन्हें समुचित पदोन्नति के अवसर दिए जाने चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
68	रेल मंत्रालय की तीन आधिकारिक वेबसाइट मौजूद होने के कारण कई बार भ्रामक स्थिति पैदा होती है।	रेल मंत्रालय यह सुनिश्चित करें कि सभी वेबसाइट सदैव पूर्णतः द्विभाषी

	अतः स्थिति स्पष्ट करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा अपनी एक आधिकारिक वेबसाइट को ही प्रयोग में लाया जाना चाहिए और उसे पूर्णतः द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।	रूप से उपलब्ध रहे।
69	सभी रेल टिकटों में पूरी जानकारी द्विभाषी रूप में ही दी जानी चाहिए ताकि हिंदी पढ़ने समझने वाले जन साधारण को असुविधा न हो।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
70	रेल मंत्रालय द्वारा दिए गए सभी विज्ञापन द्विभाषी रूप में जारी किए जाने चाहिए और विभिन्न रेल गाड़ियों के डिब्बों के अंदर और बाहर दिए जाने वाले विज्ञापनों में हिंदी को समुचित स्थान दिया जाना चाहिए। विशेषकर रेलवे स्टेशनों और रेलवे के परिसर में विज्ञापन संबंधी बैनर, होर्डिंग्स आदि अनिवार्य रूप से द्विभाषी होने चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
71	रेलवे बोर्ड द्वारा सभी निविदाओं की सूचना एवं फार्म द्विभाषी रूप में प्रकाशित किए जाने चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
72	हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए विदेश मंत्रालय का एक समयबद्ध कार्य योजना बनाकर उसे निष्पादित करना चाहिए।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि विदेश मंत्रालय हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाने के लिए वित्तीय खर्च का अनुमान लगाकर कार्य योजना तैयार करने पर विचार करे।
73	सभी पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा पासपोर्ट प्रपत्र द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे तथा आवेदकों द्वारा हिंदी में भरे हुए प्रपत्र स्वीकार किए जाएंगे। जारी किए गए सभी पासपोर्टों में संपूर्ण प्रविष्टियां हिंदी में भी की जानी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
74	मंत्रालय की वेबसाइट पर पासपोर्ट एवं वीजा संबंधी विस्तृत जानकारी एवं अन्य सूचना हिंदी में भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
75	विदेश मंत्रालय के विदेशों में स्थित अधीनस्थ कार्यालयों/दूतावासों इत्यादि में हिंदी के पदों का सृजन किया जाना चाहिए। जिन कार्यालयों/दूतावासों में हिंदी के पद रिक्त पड़े हुए हैं, उन्हें शीघ्रातिशीघ्र भरा जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
76	विदेश सेवा के अधिकारियों को संघ सरकार की	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

	राजभाषा नीति एवं राजभाषा नियम और अधिनियम की पर्याप्त जानकारी देने के लिए उनके प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में इन्हें शामिल किया जाना चाहिए।	
77	विदेश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 'इंडिया पर्सपेक्टिव्स' नामक उत्कृष्ट पुस्तक के अंक हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करणों की समान संख्या प्रकाशित की जानी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
78	सभी पासपोर्ट कार्यालयों में प्रयोग में लाए गए कंप्यूटरों पर हिंदी में काम करने की सुविधा सुनिश्चित की जानी चाहिए, विशेषकर कंप्यूटरों पर कार्य मुख्यतया हिंदी में ही किया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
79	राजभाषा नीति का सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय और इसके सभी अधीनस्थ कार्यालयों में उपलब्ध मानव संसाधन का इष्टतम उपयोग किया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
80	एअर इंडिया और पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि०द्वारा सभी टिकटों पर हिंदी का समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
81	मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिंदी से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को समुचित वेतनमान एवं पदोन्नति के उचित अवसर दिए जाने चाहिए और उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
82	भविष्य में समिति की राजभाषा संबंधी सभी निरीक्षण बैठकों में मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
83	मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में अप्रशिक्षित कर्मिकों को प्रशिक्षण देने तथा रिक्त पड़े हुए हिंदी पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिए समयबद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
84	मंत्रालय द्वारा हिंदी भाषा प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों/ कर्मचारियों को समय-बद्ध प्रशिक्षण देकर इन्हें हिंदी कार्यशालाओं में नामित किया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
85	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली में	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

	निर्धारित मानदंडों के अनुसार हिंदी का एक पद सृजित किया जाना चाहिए और अकादमी की संपूर्ण प्रशिक्षण सामग्री हिंदी में भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।	
86	नैसिल द्वारा प्रकाशित की जा रही पत्रिकाओं "स्वागत" और "नमस्कार" के हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों की सामग्री एवं उनकी प्रतियां समान होनी चाहिए ताकि सभी यात्रियों को इन लोकप्रिय पत्रिकाओं का हिंदी संस्करण आसानी से उपलब्ध हो सके।	संस्तुति संख्या 58 पर पारित आदेशानुसार कार्रवाई हो।
87	मंत्रालय और इसके सभी नियंत्रणाधीन कार्यालयों की वेबसाइट द्विभाषी रूप में होनी चाहिए और वेबसाइट को अद्यतन करते समय हिंदी के पृष्ठों को भी अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
88	समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार सभी मंत्रालयों/कार्यालयों को विज्ञापन की कुल राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत व्यय हिंदी विज्ञापनों पर करना चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2007 से लागू नई विज्ञापन नीति में समिति की उक्त सिफारिश के अनुसार समुचित संशोधन किया जाना चाहिए।	संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन खंड - 8 की सिफारिश सं० 70 पर लिए गए आदेश को अधिक्रमित करते हुए खंड - 9 की सिफारिश सं० 48 एवं 88 पर की गई संस्तुतियां इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती हैं की मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / उपक्रमों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी / क्षेत्रीय भाषाओं में दिये जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
89	आकाशवाणी महानिदेशालय द्वारा हिंदी के सभी अनुवादक-सह-उद्घोषकों को नेपाली, फ्रेंच एवं अन्य विदेशी भाषाओं के अनुवादक-सह-उद्घोषकों के समान वेतनमान दिया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
90	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय नामतः भारतीय जनसंचार संस्थान में कार्यरत हिंदी अधिकारी को छठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप वेतनमान दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार मंत्रालय के एक अन्य अधीनस्थ कार्यालय भारतीय प्रेस परिषद में कार्यरत हिंदी का कार्य देख रहे कर्मचारी को नियमानुसार समुचित पदोन्नति दी जानी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

91	देश भर में स्थित विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों एवं दूरदर्शन केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत इनमें लंबे समय से रिक्त पड़े हिंदी पदों को प्राथमिकता आधार पर भरा जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
92	आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के सभी केन्द्रों द्वारा हिंदी में प्रसारित कार्यक्रमों की अवधि निश्चित की जानी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
93	प्रकाशन विभाग द्वारा केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों एवं कार्यालयों के लिए मूल नियमों एवं अनुपूरक नियमों के संकलन का हिंदी प्रकाशन किया जाना चाहिए और इसे सर्वसुलभ बनाया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अनुसार कार्रवाई की जाए।
94	मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालय फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा देश में आयोजित किए जाने वाले सभी फिल्म समारोहों में प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों की हिंदी में डबिंग/सबटाइटलिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उत्कृष्ट फिल्मों के जरिए दर्शकों को हिंदी से जोड़ा जा सके।	फिल्म डबिंग यूनिट बंद हो जाने से यह संस्तुति स्वीकार नहीं की जाती है।
95	मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा निर्मित क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों की हिंदी में डबिंग/सबटाइटलिंग कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही, निगम द्वारा फिल्म निर्माण संबंधी अपने उपनियमों में संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि निगम द्वारा निर्मित फिल्मों के निर्माण के प्रथम चरण में फिल्मों की पटकथा हिंदी में भी तैयार की जा सके और सभी संबंधितों को सुलभ कराई जा सके।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
96	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले सभी कार्यालय आदेश/कार्यालय ज्ञापन/परिपत्र आदि को विभाग की वेबसाइट पर हिंदी में भी तत्काल उपलब्ध कराया जाना चाहिए और वेबसाइट पर दी गई सूचना को अद्यतन करते समय इसके हिंदी पाठ को भी उसी समय अद्यतन किया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
97	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी सभी कार्यालय आदेश/कार्यालय ज्ञापन/परिपत्र आदि का संकलन प्रकाशन विभाग के माध्यम से प्रकाशित	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग अपने सभी कार्यालय

	कराया जाना चाहिए और इसे सर्वसुलभ बनाया जाना चाहिए।	आदेश/कार्यालय ज्ञापन/परिपत्र आदि को द्विभाषी रूप में सर्वसुलभ कराएगा।
98	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का अधीनस्थ संगठन है जो प्रशासन एवं लोक नीति के अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत का अग्रणी संस्थान है जिसका मुख्य कार्य भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। अकादमी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शत प्रतिशत प्रशिक्षण सामग्री द्विभाषी रूप में उपलब्ध करायी जानी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
99	समिति का सुझाव है कि अकादमी अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षार्थियों को अन्य विषयों के साथ-साथ संघ सरकार की राजभाषा नीति और राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों के विषय में भी प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करे, ताकि सभी अधिकारी अपनी नियुक्ति वाले कार्यालय में राजभाषा नीति के सुचारु कार्यान्वयन की निगरानी स्वयं कर सकें।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
100	कर्मचारी चयन आयोग द्वारा देश भर में स्थित विभिन्न कार्यालयों में रिक्त पड़े हुए हिंदी पदों को तत्काल भरने के लिए ठोस एवं कारगर कार्य योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
101	कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित अंतर्विभागीय परीक्षाओं में हिंदी भाषा का विकल्प चुनने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए भाषा ज्ञान संबंधी प्रश्न पत्र अंग्रेजी भाषा में देना अनिवार्य नहीं होना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
102	एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर कर्मचारी चयन आयोग के अधीन इनके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों /कर्मचारियों को शीघ्रतिशीघ्र प्रशिक्षण दिलवाया जाए तथा इन कार्यालयों को राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
103	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित समस्त परीक्षाओं में हिंदी भाषा का विकल्प उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जिसका कारण परीक्षाओं का तकनीकी विषय होना बताया गया है। समिति इसे	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

	स्वीकार करने से इंकार करती है और यह सुझाव देती है कि प्रतिभाशाली हिंदी भाषी परीक्षार्थियों को समुचित अवसर देने के लिए आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में हिंदी का विकल्प उपलब्ध कराया जाना चाहिए।	
104	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए प्रबंधकीय नीति का निर्धारण करने एवं इन उद्यमों के लिए वरिष्ठ प्रबंधकीय पदों पर नियुक्ति हेतु सरकार को सलाह देने के लिए गठित सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा सभी विज्ञापन द्विभाषी रूप में प्रकाशित किए जाने चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
105	सर्वोच्च राजकीय पदों पर बैठे सभी को, विशेषकर जिन्हें हिंदी बोलनी और पढ़नी आती है, वे अपने भाषण/वक्तव्य हिंदी में ही दें या पढ़ें इसका आग्रह करना चाहिए। इस श्रेणी में राष्ट्रपति सहित सभी मंत्री आते हैं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
106	संसद में हिंदी या मातृभाषा का उपयोग करने के संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद, 120(2) का पालन कराने के लिए योग्य पहल करनी चाहिए।	यह सिफारिश स्वीकार नहीं की जाती है।
107	अंग्रेजी के प्रभुत्व को (उपयोग को नहीं) जड़ से समाप्त करने, हिंदी या मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा न देने वाली शालाओं को शासकीय मान्यता नहीं देनी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार नहीं की जाती है।
108	केन्द्रीय कार्यालयों में काम चाहने वालों को पद के अनुसार हिंदी प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रावधान करना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार नहीं की जाती है।
109	विज्ञापनों पर खर्च संबंधी नियमों को अधिक कठोरता से पालन कराने का प्रावधान करना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
110	राजभाषा अधिनियम का अनुपालन नहीं करने पर दण्डात्मक प्रावधान होना चाहिए। “क” और “ख” क्षेत्रों के लिए दण्ड का प्रावधान अनिवार्य हो। “ग” क्षेत्र के लिए प्रोन्नति में विशेष अंक देने की व्यवस्था की जाए।	यह संस्तुति स्वीकार नहीं की जाती है।
111	सभी सरकारी उपक्रमों, सरकारी अनुदान पाने वाली संस्थाओं, सार्वजनिक सेवा में लगी निजी कंपनियों	यह संस्तुति केंद्र सरकार के कार्यालयों में लागू करने के लिए स्वीकार की

	तथा सरकारी कार्यालयों में हिंदी के पत्र और पत्रिका को अनिवार्य किया जाए। अंग्रेजी से उनकी संख्या अधिक हो। संख्या पर जोर दिया जाना चाहिए।	जाती है।
112	सरकारी प्रेसों में जो भी छपाई हो उसमें हिंदी की संख्या आधे से अधिक हो	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
113	सभी भारतीय हवाई जहाजों पर हिंदी के पत्र और पत्रिका आधा जरूर रहें। विमानों में हिंदी की घोर उपेक्षा की जाती है। सभी उद्घोषणा हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी में हो।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। नागर विमानन मंत्रालय सरकारी विमानन कंपनियों में इसे लागू करना सुनिश्चित करें।
114	सभी कम्पनियों के उत्पादों पर हिंदी में विवरण दिये जाये और उनके नाम देवनागरी में भी लिखा जाए।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की गई है कि सरकारी या अर्द्धसरकारी सभी कंपनियों/ संगठन/ संस्थान इसका पालन करें।
115	सभी सार्वजनिक स्थलों पर सूचनापट पर या नामपट्ट देवनागरी में लगाया जाए। सभी सरकारी अर्द्धसरकारी और निजी कार्यालयों के नामपट्ट देवनागरी में रहें, नीचे अंग्रेजी में लिखा जाए।	इस विषय में राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11(3) व इस विषय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाए।
116	जिन कम्पनियों में जनता का शेयर और सरकार का शेयर लगा है उसमें हिंदी का प्रयोग राजभाषा अधिनियम के अनुसार अवश्य हो।	यह संस्तुति स्वीकार नहीं की जा सकती है।
117	अनुलग्नक-3 पर राजभाषा विभाग द्वारा दिए गए सुझावों पर समिति का मत है कि राजभाषा विभाग उक्त सुझावों के कार्यान्वयन के लिए द्रुत गति से कार्य करे।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

(डॉ. बिपिन बिहारी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय, लोकसभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार के कार्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत के विधि आयोग तथा बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया आदि को भेजी जाए।

इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित करवाया जाए।

(डॉ. बिपिन बिहारी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद(हरियाणा)

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उनसे यह भी अनुरोध है कि वे इस संकल्प को अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि को भी सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु भिजवा दें।
2. भारत की सभी राज्य सरकार तथा संघ शासित क्षेत्र।
3. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
5. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
6. प्रधानमंत्री कार्यालय, साइथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
7. भारत के उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली।
8. नीति आयोग, नई दिल्ली।
9. बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
10. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली। उनसे यह भी अनुरोध है कि वे इस संकल्प को देश के सभी विश्वविद्यालयों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु भिजवा दें
11. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
12. भारत के निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
13. भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
14. बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
15. सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उद्योग मंत्रालय, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली।
16. योजना आयोग, नई दिल्ली।
17. निदेशक, जन संपर्क (गृह), प्रेस सूचना का कार्यालय, नई दिल्ली।
18. संसद का पुस्तकालय, संसद भवन, नई दिल्ली।
19. संयुक्त निदेशक(पत्रिका), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग('राजभाषा भारती'में प्रकाशनार्थ)।
20. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो('ब्यूरो वार्ता'में प्रकाशनार्थ) तथा इसके अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र।
21. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान ('अनुशीलन'में प्रकाशनार्थ) तथा इसके उप-केंद्र तथा हिंदी शिक्षण योजना के कार्यालय।
22. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
23. केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्स-वाई 68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली।
24. अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, कम्यूनिटी सेंटर, झंडेवालान, नई दिल्ली।
25. निदेशक(राजभाषा), गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
26. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग।

संयुक्त सचिव, भारत सरकार